



# पतंजलि ग्रामोद्योग (न्यास) वितरक आवेदन फार्म

आवेदक का नाम : .....

फर्म का नाम : .....

फर्म का पता : .....

जिला : .....राज्य : .....पिन कोड.....

गोदाम विवरण : .....

सम्पर्क सूत्र : .....

ई-मेल : .....

आवास का पता (स्थायी पता) : .....

वर्तमान व्यवसाय : .....

टर्नओवर : .....

पशु आहार/औषधि का अनुभव : .....

वितरक किस क्षेत्र के लिए : तहसील.....जिला.....

दिनांक : .....

संस्तुति : .....

हस्ताक्षर : .....

अनुमोदित : .....



# पतंजलि ग्रामोद्योग (न्यास)

(पशुपोषण एवं स्वास्थ्य विभाग)

## तहसील स्तर की डीलरशिप हेतु नियम एवं शर्तें

1. नियम (विक्रय हेतु) नाम :- "पतंजलि किसान सेवा केन्द्र"  
फर्म का नाम कोई भी हो सकता है, परन्तु मुख्य बोर्ड पर उपरोक्त नाम ही होगा।
2. बोर्ड साइज 10'X3' की रखनी होगी।
3. तहसील प्रवास :- तहसील वितरक को सप्ताह में 2-3 दिन फील्ड/मार्केटिंग के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्र में जाना होगा।
4. सब डीलर :- कम से कम एक तहसील में 20 सब-डीलर्स नियुक्त करने होंगे।
5. दुकान:- दुकान की लोकेशन ऐसे स्थान पर हो, जहाँ किसानों का आना-जाना हो या अनाज मण्डी के आस-पास हो।
6. लक्ष्य प्रतिमाह की जिम्मेदारी व विवरण :-
  - (अ) प्रतिमाह 15 एम.टी. पशु आहार। इसमें तीनों प्रकार की वैरायटी मिलेगी (पैलेट, मेश एवं Chips) (खल) (दुग्धामृत पशुआहार-सिल्वर पैलेट, गोल्ड चिप्स, गोल्ड प्लस चिप्स, डायमण्ड चिप्स एवं मिनविट प्लस)।
  - (ब) प्रतिमाह पशुआहार की तुलना में 10 प्रतिशत (10% Of the Feed Purchase) फीड सप्लीमेंट की बिक्री भी अनिवार्य रूप से करनी होगी।
  - (स) तहसील वितरक को प्रतिमाह निर्धारित बिक्री लक्ष्य प्राप्ति अनिवार्य रहेगी। इसमें विफल होने पर तीन माह बाद डीलरशिप रद्द की जायेगी।
7. डिलीवरी व्यवस्था :- वितरक केन्द्र पर माल की डिलीवरी संस्थान द्वारा FOR की जायेगी अनलोडिंग खर्च वितरक को वहन करना होगा।
8. उपयोग :- उपयोग समय कम से कम निर्माण तिथि से 1 माह के अन्दर या अधिकतम 2 माह के अन्दर होना चाहिए (अच्छे परिणाम के लिए)।
9. पशु आहार खिलाने का तरीका :- एक सप्ताह तक मिक्स पद्धति से देना चाहिए, न खाने की समस्या में पशु के मुँह पर सरसों का तेल या पशु आहार को भिगोकर उसकी पेस्ट बनाकर पशु के मुँह पर लगायें (4-5 दिन तक)।  
अन्य ध्यान रखने योग्य बातें-
  - (अ) पशु आहार के अच्छे परिणाम के लिए पशु को हर तीन महीने के बाद कृमिनाशक (पेट के कीड़े मारने हेतु) डीवर्मिंग करें। इसके लिए पशु चिकित्सक से सम्पर्क करें।
  - (ब) प्रत्येक सप्ताह में 2 दिन पतंजलि बत्तीसा-प्रो अवश्य दें। (25 ग्राम सुबह, 25 ग्राम शाम) चारा या पशु आहार के साथ।
  - (स) पतंजलि फीड सप्लीमेंट की एक्सपायरी डेट 2 वर्ष है। (मर्यादा 2 वर्ष तक)
  - (द) पतंजलि पशु आहार व फीड सप्लीमेंट पूर्णतः टेक्स फ्री है।
10. अमानत राशि 21,000/-रूपये संस्था के पास जमा रहेगी, जो रिफण्डेबल है।

11. भुगतान करने के पश्चात् SMS में –

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. फर्म का नाम व स्थान | 2. आपके बैंक खाते का नाम       |
| 3. सम्पर्क नम्बर       | 4. राशि                        |
| 5. दिनांक              | 6. यू.टी.आर.नं. (जो बैंक देगा) |

12. संस्थान के खाते में नकद जमा नहीं कराना है, बैंक में ट्रांसफर ही करना है (RTGS/NEFT).

13. संस्थान के कर्मचारियों को नकद रकम नहीं दें वरना यह जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

14. सभी उत्पादों की खुदरा बिक्री एम.आर.पी. रेट पर ही करनी अनिवार्य है अन्यथा अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी।

15. सभी विक्रेता बन्धु अपने आवंटन क्षेत्र तक ही सीमित व अधिकृत हैं। अपने क्षेत्र से बाहर अनाधिकृत रूप से बिक्री करने पर आपकी डीलरशिप रद्द की जा सकती है।

16. फीड सप्लीमेन्ट्स के ऑर्डर का भुगतान अपने क्षेत्र के सुपर डिस्ट्रीब्यूटर के खाते में लगाना है।

17. उत्पादों के प्रचार-प्रसार के लिए खुद का लिट्रेचर प्रिंट करना अनिवार्य है, इसके लिए अपने क्षेत्रीय अधिकारी से सम्पर्क करें।

18. बरसात के दिनों में पशुआहार की विशेष सावधानी रखनी है, जिसमें दुकान या गोदाम में नीचे की तरफ तिरपाल या प्लास्टिक शीट लगायें, जिससे पशुआहार में नमी ना हो (नमी रहित सूखे स्थान पर रखें)। टिन के पतरे (Tin Shed) में ना रखें, पक्के गोदाम में रखें।

19. तहसील वितरक अपने-अपने तहसील क्षेत्र में किसान/पशुपालक संगोष्ठी (Farmers Meeting) का आयोजन करें, जिससे अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार हो सके। इस आयोजन के लिए सम्बन्धित संस्था के अधिकारियों से सम्पर्क करें।

20. पशु आहार तथा फीड सप्लीमेन्ट के ऑर्डर्स अपने क्षेत्र के अधिकारियों के पास मेसेज अथव ई-मेल द्वारा भेजें। फोन व मोबाईल पर ऑर्डर स्वीकार नहीं होंगे।

21. पशु आहार की डिलीवरी के पश्चात् कोई भी किसी प्रकार की शिकायत है तो सम्बन्धित अधिकारी से तुरन्त सम्पर्क करें।

22. अधिकृत वितरक केवल पतंजलि का पशु आहार व फीड सप्लीमेन्ट ही विक्रय करेंगे। अन्य पशु आहार उत्पाद बेचने पर उचित कार्यवाही होगी।

23. पशु आहार की डिलीवरी प्राप्त करने के पश्चात् चालान पर वितरक द्वारा उसकी पहुँच रसीद बकायदा फर्म की मोहर लगाकर और अपने हस्ताक्षर करके दें।

24. माल पेमेंट (भुगतान) करने हेतु बैंक— PNB (पंजाब नेशनल बैंक)

शाखा – पतंजलि योगपीठ-1, बहादुराबाद (हरिद्वार)

खाता संख्या – A/C NO. 4871002100001219, IFSC Code. – PUNB0487100

**पतंजलि ग्रामोद्योग (न्यास)**

**(पशुपोषण एवं स्वास्थ्य विभाग)**

ग्राम बहादुरपुर सैनी, पोस्ट- दौलतपुर, निकट बहादुराबाद, हरिद्वार-249405 (उत्तराखण्ड)

Web:-[www.patanjaligramodhyognyas.com](http://www.patanjaligramodhyognyas.com), Email ID- [patanjaliipashuaahar@gmail.com](mailto:patanjaliipashuaahar@gmail.com)

Contact No 9409507770